



वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग

विकास आयुक्त का कार्यालय

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

नौएडा दादरी रोड, फेज-II, नौएडा - 201305

टेलीफोन: 0120-2567268/69/70

ईमेल: dc@nsez.gov.in, वेबसाइट: www.nsez.gov.in

दिनांक: 18th/03/2025

सेवा मे,

- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, न्यू ओखला औद्धोगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर - 6, नौएडा।
- अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 'ए' विंग, इंद्रप्रस्थ भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली ।
- प्रधान आयकर आयुक्त, आयकर भवन, प्लाट सं.- ए-2डी, सेक्टर 24, नौएडा ।
- आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय, इनलैंड कंटेनर डिपो, तिलपता, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201306.
- निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली -110001
- उप सचिव (आई एफ-1), बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, कलेक्ट्रेट के पास, सूरजपुर, ग्रेटर नौएडा ।

विषय: दिनांक 11/03/2025 को पूर्वाहन 10:30 बजे आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त - एतद संबंधी ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय का सन्दर्भ लेने और श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में दिनांक 11/03/2025 को पूर्वाहन 10:30 बजे आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

संलग्नक: उपरोक्त

भवदीय,
18/03/25
(नोमान हाफ़िज़)

उप विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

- विशेष कार्याधिकारी - विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के सूचनार्थ ।
- वैयक्तिक सहायक - संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के सूचनार्थ
- विनिर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए ।
- सचिव, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए ।
- कार्यपालक अभियंता, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, इ.यु.डी.डी.-II, सेक्टर - 18, नौएडा ।
- उप आयुक्त, व्यापार कर, खण्ड-14, सेक्टर -18, नौएडा ।
- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, इ-12/1, सेक्टर -1, नौएडा ।
- कंप्यूटर सेक्षन, नौ.वि.आ.क्षे. - बैठक के कार्यवृत्त को एनएसईजे१ वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

: सूचनार्थ
उप विकास आयुक्त
18/03/25

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 11/03/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 11/03/2025 को सुबह 10:30 हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामिती)
 2. श्री सैबल राय, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय।
 3. सुश्री अंजलि मीना, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग नोएडा।
 4. श्री विनय कुमार, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा के प्रतिनिधि।
 5. श्री मयंक कुमार, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नोएडा (प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि)
- B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) किरण मोहन मोहदिकर, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिकारी, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (iii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र और (v) राजीव कुमार, जेर्झ, यूपीपीसीएल, भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।
- C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 24/02/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 24/02/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही कोई आपत्ति थी। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इसका संज्ञान लिया और तदनुसार, 24/02/2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

सुरेन्द्र मलिक

(2) क्यू.1 टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - नई इकाई की स्थापना।

2.1. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि आवेदक से एक ई-मेल प्राप्त हुआ है जिसमें प्रस्ताव को अगली बैठक के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया गया है। तदनुसार, अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव को अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया और आवेदक से आवश्यक दस्तावेज़/जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया।

(3) इण्डोयश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण, अतिरिक्त प्राधिकृत परिचालनों को शामिल करना तथा निष्पादन की निगरानी।

3.1. इकाई के महाप्रबंधक-वाणिज्यिक श्री पवन शर्मा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए तथा प्रस्ताव के बारे में बताया।

3.2. अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और 2023-24 तक पांच साल के चालू ब्लॉक के दौरान सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय की उपलब्धि दर्ज की। अनुमोदन समिति ने यह भी ध्यान दिया कि 31/03/2024 तक कोई निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाई गई थी। अनुमोदन समिति ने पाया कि "स्टूल टॉप" के लिए आईटीसी एचएस कोड 94039900 की फिर से जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा, इकाई को डिफ़ॉल्ट सेवाओं की सूची के अनुसार विवरण देते हुए आयातित और स्वदेशी इनपुट सेवाओं की मूल्य-वार सूची प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

3.3. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्तावित अधिकृत संचालन के लिए मेसर्स इंडियश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के स्वीकृति पत्र (LOA) की वैधता को अगले पांच साल के ब्लॉक यानी 31/03/2030 तक नवीनीकृत करने का फैसला किया, जैसा कि कार्यसूची में उल्लेख किया गया है। हालाँकि यह अनुमोदन "स्टूल टॉप" के संशोधित और सही एचएस कोड (जिसे श्री पवन शर्मा द्वारा मौखिक रूप से 94039100 बताया गया था) और डिफ़ॉल्ट सेवाओं की सूची के अनुसार विवरण देते हुए आयातित और स्वदेशी इनपुट सेवाओं की मूल्य-वार सूची प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

(4) एवाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - आयातित पूँजीगत वस्तुओं और आयातित एवं स्वदेशी इनपुट सेवाओं के लिए संशोधित अनुमान।

4.1. इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री परमेश्वर सिंह अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया।

4.2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद संशोधित अनुमान के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

सुरेन्द्र मालक

(5) जेवियंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड- स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना।

5.1. इकाई के निदेशक श्री आशीष जैन आभासी रूप से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव को समझाया। उन्होंने बताया कि अनुमोदित निर्यात/निवल विदेशी मुद्रा (NFE)/रोजगार अनुमानों में कोई बदलाव नहीं होगा। अप्रैल 2023-24 में दिखाए गए 6694.84 लाख रुपये की लंबित प्राप्ति के बारे में पूछे जाने पर, यह बताया गया कि सभी निर्यात आय निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर ली गई है।

5.2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, स्वीकृति पत्र (LOA) के अधिकृत संचालन में 'कॉल सेंटर सेवाएं/बीपीओ संचालन' को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रतिनिधि को लंबित निर्यात आय की प्राप्ति का सीए प्रमाणित विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

(6) वन टच सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड- प्लॉट संख्या 129जी/15, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में भवन सहित परिसंपत्तियों और देनदारियों का बाहर निकलना और हस्तांतरण, एसईजेड नियम, 2006 के नियम 74ए के अनुसार मेसर्स कोरप लाइटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को।

6.1 मेसर्स वन टच सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि श्री नोरतन मल नाहटा और श्री राघवेंद्र कुमार झा और मेसर्स कोरप लाइटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि श्री दिनेश गौतम अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

6.2 अनुमोदन समिति को यह भी बताया गया कि मेसर्स ऑप्टिमल ट्रांसनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक एक सहयोगी कंपनी ने भी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) योजना से बाहर निकलने के लिए एक साथ आवेदन किया था।

6.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद पाया कि मेसर्स वन टच सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियमों के नियम 74ए की शर्तों को पूरा किया है। समिति ने प्लॉट संख्या 129जी/15, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में भवन सहित परिसंपत्तियों और देनदारियों के निकास और हस्तांतरण के लिए मेसर्स कोरप लाइटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सैद्धांतिक मंजूरी देने का फैसला किया। यह (i) हस्तांतरणकर्ता द्वारा निकास औपचारिकताओं को पूरा करने (ii) लागू हस्तांतरण शुल्क का भुगतान करने और (iii) हस्तांतरणकर्ता की परिसंपत्तियों और देनदारियों को लेने के संबंध में हस्तांतरिती द्वारा एक वचनबद्धता प्रस्तुत करने के अधीन है। अनुमोदन समिति ने मेसर्स वन टच सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के स्वीकृति पत्र (LOA) की वैधता को 30/09/2025 तक की अवधि के लिए विस्तारित करने का निर्णय लिया, विशेष रूप से निकास औपचारिकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से। अनुमोदन समिति ने परियोजना अनुभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि

प्लॉट संख्या 129जी/15 पर साझेदारी के आधार पर काम कर रही मेसर्स ऑफिसल ट्रांसनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी साथ-साथ निकास संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर ले।

(7) पीसी यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण, अधिकृत संचालन में संशोधन और प्रदर्शन की निगरानी।

7.1. मेसर्स पीसी यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड की अधिकृत प्रतिनिधि श्रीमती रश्मि आनंद आभासी रूप से बैठक में शामिल हुईं और प्रस्ताव की व्याख्या की। 5230.70 लाख रुपये की लंबित प्राप्ति के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने बताया कि उन्हें मार्च 2025 के भीतर लगभग 40 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त होने की उम्मीद है।

7.2. अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) अर्जित किया है और 2020-21 के दौरान यूएसडी शर्तों में निर्धारित न्यूनतम मूल्य संवर्धन हासिल किया है। इसके अलावा, इकाई ने 2023-24 में भारतीय रुपये में निर्धारित मूल्य संवर्धन भी हासिल किया है। हालाँकि, आज की तारीख तक 5230.70 लाख रुपये की राशि अभी भी प्राप्ति के लिए लंबित है।

7.3. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अधिकृत संचालन के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) की वैधता को छह महीने की अवधि यानी 29/09/2025 तक बढ़ाने का फैसला किया, अर्थात् "(i) सादे सोने के आभूषण - हस्तनिर्मित और मशीनीकृत (71131911) - 5500 किलोग्राम/वर्ष; ii) हीरे जड़े सोने के आभूषण (71131913) - 200 किलोग्राम/वर्ष; (iii) सोने का लेख, सोने के घटक (71131960) - 100 किलोग्राम/वर्ष; (iv) सादे चांदी के आभूषण - हस्तनिर्मित और मशीनीकृत (71131141) - 100 किलोग्राम/वर्ष; (v) हीरे जड़े चांदी के आभूषण (71131143) - 50 किलोग्राम/वर्ष"। अनुमोदन समिति ने निर्णय लिया कि स्वीकृति पत्र (LOA) के आगे नवीकरण पर निर्णय लेने के लिए इकाई के प्रदर्शन और लंबित निर्यात आय की प्राप्ति की स्थिति की छह महीने बाद निगरानी की जाएगी।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

सुरेन्द्र मलिक
(सुरेन्द्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त

ए. बिपिन मेनन
(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त